विविध बैंक प्रकरण संख्या 120/2019 (RCMS 2019/00216) बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय – जवाहर नगर, 5.एम 5 जवाहर नगर, मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स शुभम स्टील ट्रेडर्स–प्रो. श्री विजय कुमार निवासी 18, डिस्ट्रीक्ट शोपिंग सेन्टर, मीरा चौक, श्रीगंगानगर 2. श्रीमती संतोष धीमन पत्नी श्री विजय धीमन निवासी 18, डिस्ट्रीक्ट शोपिंग सेन्टर, मीरा चौक, श्रीगंगानगर, राजस्थान–335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.11.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिकृत कार्यकर्त्ता श्री रवि यादव का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स शुभम स्टील ट्रेडर्स – प्रो.. विजय कुमार एवं श्रीमती संतोष को ऋण सुविधा के रूप में 19.00 लाख रूपये (अखरे रूपये उन्नीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 26.04.2016 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी विजय कुमार की अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 176, (क्षेत्रफल 40' गुणा 70') किला नं. 23 एम. न. 19/20, चक 3 ई छोटी (वर्तमान गली नं. 2, शिव नगर के नाम से जाना जाता है।), श्रीगंगानगर में ही स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.06.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 29.06.2019 को 19,70,894/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 01.07.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का दिया गया। जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी विजय कुमार द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 176, किला नं. 23 एम. न. 19/20, चक 3 ई छोटी (वर्तमान गली नं. 2, शिव नगर के नाम से जाना जाता है।), श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 40' गुणा 70') का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स शुभम स्टील ट्रेडर्स – प्रो.. विजय कुमार एवं श्रीमती संतोष को 19.00/–लाख रूपये(अखरे रूपये उन्नीस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 26.04.2016 (पूर्व स्वीकृत सीमा रूपये 13.00 लाख दिनांक 15.09.2015) को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में श्री विजय कुमार द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 176, (क्षेत्रफल 40' गुणा 70') किला नं. 23 एम. न. 19/20, चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर (वर्तमान गली नं. 2, शिव नगर के नाम से जाना जाता है।), जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों का खाता दिनांक 29.06.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 01.07.2019 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गए है। धारा 13(2) के नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं ट्रैक कन्साईन्मैट की प्रति पेश की है जो पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो चुका है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैक की बकाया ऋण उक्त राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति आवासीय प्लॉट नं. 176, किला नं. 23 एम. न. 19/20, चक 3 ई छोटी (वर्तमान गली नं. 2, शिव नगर के नाम से जाना जाता है।), श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 40' गुणा 70') जो श्री विजय कुमार के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार, जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 01.07.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 01.07.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी मैसर्स शुभम स्टील ट्रेडस – प्रो. विजय कुमार एवं संतोष पत्नि विजय कुमार के नाम रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है, जिसकी रसीद एवं प्राप्ति के ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रतियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री विजय कुमार द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल** सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 176, (क्षेत्रफल 40' गुणा 70') किला नं. 23 एम. न. 19/20, चक 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर (वर्तमान गली नं. 2, शिव नगर के नाम से जाना जाता है।), जो कि ऋणी विजय कुमार के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर